4965
27.8.21

4984

द्वारा ई–मेल / फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1 चतुर्थ तल पुलिस मुख्यालय शहीद पद गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

संख्याःपॉच–111–आर(वरि0पदो0–स्थानापन्न) / 2020 दिनांकः अगस्त 26 ,2021

आदेश

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से प्राप्त संरतुति के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या 13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये प्रकरणो के निस्तारण हेतु आरक्षित की गयी रिक्ति के समक्ष काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को इस शर्त के साथ उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की जाती है कि उपनिरीक्षक पद की रिक्ति उपलब्ध न होने पर उन्हे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। स्थानापन्न रूप से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर की गयी इस प्रोन्नति के आधार पर इन्हे नियमित पदोन्नति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

क0सं0	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	6740	852700022	हीरा लाल बरई	विश्राम बरई	लखनऊ(नगर)	2019 स्थानापन्न
2	6741	852460380	राशिद अली	साहब अली	लखनऊ	2019 स्थानापन्न
3	6744	852120374	विश्वदेव दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	सीतापुर	2019 स्थानापन्न
4	6745	852390159	रमेश कुमार शुक्ल	श्री हरि प्रसाद शुक्ल	उन्नाव	2019 स्थानापन्न
5	6746	852490051	राजेन्द्र सिंह	श्री हरिकेश सिंह	बागपत	2019 स्थानापन्न
6	6747	850740109	यशपाल सिंह	श्री सूरज मल	बुलन्दशहर	2019 स्थानापन्न
7	6748	852510245	प्रदीप कुमार	श्री रनवीर सिंह	बुलन्दशहर	2019 स्थानापन्न
8	6749	852140158	पूरन सिंह	श्री अमर सिंह	गौतमबुद्धनगर	2019 स्थानापन्न
9	6750	852150380	अनिल कुमार	श्री सत्यपाल सिंह	गौतमबुद्धनगर	2019 स्थानापन्न
10	6751	852290130	इला दास	हित राम	मेरठ	2019 स्थानापन्न
11	6752	852290169	साहब सिह	श्री जयपाल सिंह	गौतमबुद्धनगर	2019 स्थानापन्न
12	6753	852290244	ध्रुव कुमार	श्री मोहन लाल	अलीगढ	2019 स्थानापन्न
13	6754	852290723	दुर्गा शंकर बाजपेयी	श्री शिवनाथ बाजपेयी	गौतमबुद्धनगर	2019 स्थानापन्न
14	6755	852330023	निर्मला मसीह	पति शफी मसीह	हापुड	2019 स्थानापन्न
15	6756	852330788	दयाशंकर	श्री मोहनलाल	गौतमबुद्धनगर	2019 स्थानापन्न
16	6758	852400052	विनोद कुमार	श्री ओम सिंह	गौतमबुद्धनगर	2019 स्थानापन्न
17	6759	850900404	हरिओम शर्मा	श्री राम औतार शर्मा	गाजियाबाद	2019 स्थानापन्न
18	6761	852020212	नरेन्द्र पाल सिंह	श्री बुद्वि सिंह राणा	गाजियाबाद	2019 स्थानापन्न
19	6762	852120925	छत्तर सिंह	श्री मोहन सिंह	गाजियाबाद	2019 स्थानापन्न
20	6763	852140262	विनोद कुमार	श्री भोपाल सिंह	गाजियाबाद	2019 स्थानापन्न
21	6764	852290097	बनी सिह	श्री बलवीर सिंह	बुलन्दशहर	2019 स्थानापन्न
22	6765	852290736	गोपाल प्रसाद गौतम	सेवाराम गौतम	मेरठ	2019 स्थानापन्न

I/c Website

SP/AD 27/08/21

SP AD

DIG/TS

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
27.8.2021

23	6769	852530205	नरेन्द्र कुमार	श्री मीर सिंह	गाजियाबाद	2019 स्थानाप.
24	6770	852750203	धीरेन्द्र सिंह	जयवीर सिंह	गाजियाबाद	2019 स्थानापन्न
25	6771	852010240	पूरन सिंह चौहान	शमसेर सिंह	हापुड	2019 स्थानापन्न
26	6774	852290228	बनवारीलालद शर्मा	बासुदेव शर्मा	हापुड	2019 स्थानापन्न
27	6775	852330818	इन्द्रजीतसिंह	रणसिंह	हापुड	2019 स्थानापन्न

2– उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध अथवा आगामी चयन वर्ष या मुहरबन्द लिफाफा के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो तक के लिये ही होगी।

3– मुहरबन्द लिफाफा के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4– स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश दिनांक 28–5–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 3 परिस्थितियॉ सम्बन्धित मुख्य आरक्षी के विरूद्व विद्यमान न हो :–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लंबित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी ना0पु0 को उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6– यदि उपरोक्त कर्मियों मे से किसी कर्मी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसे मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नक–प्रारूप(क)</u>

26/01/21

(टी0एस0 सिंह)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश/पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के जीएसओ0
4–पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी एवं कानपुर नगर।
5–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
7–पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वहीं

निम्नलखित का उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,——————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ————————निवासी——————————थाना————————जनपद———————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(ख) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:—————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0—————————— धारा——————————थाना —————————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।